

आरोपी हिस्ट्रीशीटर व एक अन्य बदमाश गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। भीमगंजमंडी पुलिस टीम ने जानलेवा हमले के दर्ज मामले में कार्यवाही करते हुए भीमगंजमंडी थाने का हिस्ट्रीशीटर मनीज कुशवाह उर्फ जलेबी व आरोपी शुभम शर्मा उर्फ कन्नु बच्चा को गिरफ्तार किया है। मामले में सामने आया कि फरियादी ने हमलावर मनीज के कलर का टिका लगा दिया था जिसको लेकर विवाद हो गया और हमलावर मनीज उर्फ जलेबी ने अपने साथियों के साथ मिलकर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया था। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने बताया कि 4 मार्च को परिव्रादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट में कहा 3 मार्च को मुझे छोटी बाई का चौराहा डडवाड़ा में मनीज

निःशुल्क सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन, फागोत्सव 8 व 9 को

कोटा, (निसं)। श्री श्याम ही सहारा सेवा संस्था, कोटा द्वारा 8 एवं 9 मार्च 2026 को चतुर्थ श्री श्याम रंगीलो फागोत्सव 2026 एवं निशुल्क सर्व सनातन सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन दशरथ मैदान में किया जाएगा। प्रेसवार्ता के दौरान कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था के संस्थापक दीपक गौतम एवं अध्यक्ष नागेश गुप्ता ने बताया कि 8 मार्च 2026, रविवार को चतुर्थ श्री श्याम रंगीलो फागोत्सव 2026 का आयोजन होगा, जिसमें भव्य फागोत्सव में बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाया जाएगा। बाबा का भव्य दरबार जयपुर के कारीगरों द्वारा सजाया जाएगा जो बेहद ही आकर्षक होगा।

के सुगंधित पुष्पों की पतियों से फूलों की होली खेली जाएगी। फागोत्सव में बाबा श्याम की मधुर भजन सुनाने के लिए कोटा में पहली बार कलकता के सुप्रसिद्ध भजन प्रवाहक अमोल शुभम पाराशर एवं सूरत से प्रदीप गायल कोटा आ रहे हैं। साथ में कोटा के लाडले भजन प्रवाहक भंवर सिंह एवं छोटी छोटी भजन प्रवाहक सोनी सिस्टर्स भी श्याम बाबा के भजनों से भक्तों को आनंदित करेंगी। दिल्ली से साजिंदे देव म्यूजिकल ग्रुप भी आकर्षण का केंद्र होगा। कोषाध्यक्ष विकास गायल एवं कार्यक्रम मुख्य संयोजक सैलेश गायल शानू ने बताया कि इस अवसर पर बाबा श्याम को भव्य 56 भोग, 501 पान, चूरे, खीर आदि का भोग लगाया जाएगा। इस अवसर पर भव्य आतिशबाजी की जाएगी। फागोत्सव का लाइव प्रसारण संस्था के यू-ट्यूब चैनल श्री श्याम ही सहारा कोटा पर किया जाएगा। फागोत्सव में मुख्य अतिथि होंगे हरि कृष्ण बिरला होंगे। कार्यक्रम संयोजक देवेश पारीक उपसचिव रवि अग्रवाल रानू ने बताया कि फागोत्सव के अगले दिन 9 मार्च 2026, सोमवार को आयोजित निशुल्क सर्व सनातन सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 13 बेटियों का विवाह पूर्ण विधि विधान से वैदिक क्रिया के साथ पूर्ण कराया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे।

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा
राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 17 के अन्तर्गत
नोटिस
सहायक सार्वजनिक अधिकारियों को
(नाम दर्जित तथा विवरण स्वतंत्र)
पुस्तक संख्या 78/2026
श्रीमती विमला देवी मोदी पत्नी स्व. श्री रमणदास मोदी, मोदी हाउस, गुमानपुरा कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रत्यास श्री संत नन्दलाल साखन, समिति, भूखण्ड संख्या 20, झालावाड़ रोड, कोटा के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।
आपके धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उचित जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर उक्त प्रत्येक के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जोच प्रत्येक मामले में निष्कर्ष अमिहित किया जायेगा।
आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 06.05.2026 है।
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा
दि. 05.03.2026

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक :- एफ-15/क.मु.सू./2026/2200
विज्ञापित दिनांक :- 06.03.2026
सर्व साधारण को जर्ज विज्ञापित सूचित किया जाता है कि ग्राम रामपुरा खसरा नं. 598 में स्थित कृषि भूमि योजना आर.के. नगर भूखण्ड संख्या 144 आवेदक/आवेदिका श्री सुरेश रावत पुत्र श्री दयाराम रावत दत्तक पुत्र श्री लक्ष्मणलाल मीणा निवासी ग्राम नारोला सह. खण्डार जिला सर्वाड माधोपुर राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तांतरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 3445 दिनांक 11.01.2005 को फिरोजा हुसैन पत्नी श्री जाहिर हुसैन के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा जर्ज नोटेशियुदा मुख्यालय दिनांक 04.05.2005 से आविद हुसैन पुत्र श्री बशीर मोहम्मद को नियुक्त किया गया है। मुख्यालय द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ज रजि. विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2007 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।
अतः श्री सुरेश रावत पुत्र श्री दयाराम रावत दत्तक पुत्र श्री लक्ष्मणलाल मीणा के पक्ष में नाम हस्तांतरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो ती अन्तर 7 योग कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

हाजा अदालत न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा
बड़जलाल श्री सत्यनारायण व्यास
प्राथना पत्र क्रमांक CM 12/2026
1. शक्ति प्रभा पत्नी श्री घनेन्द्र सिंह पुत्री स्व. श्री विजेन्द्र सिंह सेंगर आयु 67 वर्ष निवासी मकान नम्बर 70 भीमगंजमंडी रुस्तम कोलेनी कोटा जं. कोटा 324002 राज., 2. सन्तोष सिंह पत्नी श्रीकान्त सिंह पुत्री स्व. श्री विजेन्द्र सिंह सेंगर आयु 58 वर्ष निवासी मकान नम्बर 1314 सहकार नगर रामपुर एमपीडी पोलीस स्टेशन 482006 मध्यप्रदेश 3. शोभा सेंगर पुत्री स्व. श्री विजेन्द्र सिंह सेंगर आयु 56 वर्ष निवासी मकान नम्बर 504 आनन्द विहार डडवाड़ा कोटा जंशरन कोटा 324002 राज.प्राथनीय
- बनान -
1. पंजाब नेशनल बैंक जर्ज शाखा प्रबंधक भीमगंजमंडी कोटा जंशरन कोटा, 2-आमजन ...प्रतिपक्षीय
प्राथना पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम वार्ते जारी किए जाने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
एतद्वारा हर आर व खास को सूचना दी जाती है कि न्यायालय हाजा में प्राथनीय शक्ति प्रमाण, सन्तोष सिंह, शोभा सेंगर के द्वारा प्राथना पत्र पेश कर उनकी माताजी स्व. श्रीमती रामश्री देवी पत्नी स्व. विजेन्द्र सिंह सेंगर द्वारा उनके जीवनकाल में स्वअर्जित आय से अप्राथनी क्रम 1 के यहां संवालिप्त बचत खाता संख्या 5504 29126 (पुराना खाता संख्या पी 10034) में लगभग 3,50,000/- रुपये जमागुदा राशि के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निवेदन किया है।
अतः हर आम व खास को सूचना दी जाती है कि यदि किसी को प्राथनीय के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने में किसी प्रकार की आपत्ति हो यह इस न्यायालय के समक्ष दिनांक दिनांक 30.04.26 को समक्ष प्राप्त: 7:00 बजे पर असातलन या कबलतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवावे अन्यथा बाद में कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी और साक्षिक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया चालू कर दी जायेगी।
यह सूचना पत्र न्यायालय की मुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 27 मार्च 02 वर्ष 2026 को जारी किया गया।
मोहर अदालत
न्यायालय के आदेश से
वरिष्ठ मुसलिम
जिला एवं सेशन न्यायालय
कोटा (राज)

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक :- एफ-15/क.मु.सू./2026/2163
विज्ञापित दिनांक :- 26.2.2026
सर्व साधारण को जर्ज विज्ञापित सूचित किया जाता है कि ग्राम मानपुरा खसरा नं. 43, 44 में स्थित कृषि भूमि योजना एनकेव ब्लॉक-ए भूखण्ड संख्या 144 आवेदक/आवेदिका श्री पंकज मीना पुत्र श्री श्रवण कुमार मीना निवासी बसंत विहार दादावाडी कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तांतरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 4996 दिनांक 15.03.2023 को श्री जितेन्द्र कुमार शाक्यावाल पुत्र श्री कन्हैया लाल शाक्यावाल एवं श्री सुरेश रावत अली पुत्र श्री सेयद नजर अली के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा जर्ज पंजीकृत मुख्यालय दिनांक 13.08.2025 से सनोपार बेग पुत्र श्री अमीर बेग को नियुक्त किया गया है। मुख्यालय द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ज रजि. विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2025 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।
अतः श्री पंकज मीना पुत्र श्री श्रवण कुमार मीना के पक्ष में नाम हस्तांतरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्तर 7 योग कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक :- एफ-11/विका/2026/877
विज्ञापित दिनांक :- 05.03.26
नाम हस्तांतरण वाचत आम सूचना
कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवार/भूखण्ड संख्या-144 केशवपुरा 6 योजना का आवेदन के पत्र क्रमांक 227 दिनांक 06.06.1992 द्वारा श्री हुकुम चन्द पुत्र श्री छोटे लाल को आवंटित किया गया था। श्री हुकुम चन्द कि मृत्यु दिनांक 30.01.2017 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात श्री हुकुम चन्द के विधिक वारिसान के द्वारा श्री धनराज शाक्यावाल पुत्र श्री हुकुम चन्द के पक्ष में हक का त्याग किया गया है। हकत्याग प्रहिता श्री धनराज शाक्यावाल पुत्र श्री हुकुम चन्द के नाम हस्तांतरण चाहा गया है।
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृती देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिन के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवार / भूखण्ड संख्या-144 केशवपुरा 6 योजना का नाम हस्तांतरण श्री धनराज शाक्यावाल पुत्र श्री हुकुम चन्द के नाम से जारी कर दिया जायेगा।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज.)
क्रमांक-निको/जोन 3/4/न.न.अनु./2026/7367
विनांक- 25.02.26
स्वामिन्स हस्तांतरण वाचत सार्वजनिक विज्ञापित
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री धीरेन्द्र चौधरी पुत्र श्री नन्द राम चौधरी निवासी 21 रावण जी स्कीम शक्ति नगर कोटा (राज.) ने नगर निगम, कोटा भूखण्ड संख्या 21 रावण जी स्कीम शक्ति नगर कोटा (राज.) को भूखण्ड संख्या 21 रावण जी स्कीम शक्ति नगर कोटा क्षेत्रफल 1956 वर्गफुट की लीज डीड विनांक 19.08.1963 से श्री श्री गोविन्द राम पुत्र श्री नेरुमल के नाम की गई है। श्री गोविन्द राम पुत्र श्री डालू राम चौधरी का विक्रय कर दिया गया। श्री नन्द राम चौधरी की मृत्यु दिनांक 23.08.2025 व उनकी पत्नी श्रीमती शक्ति बाई की मृत्यु दिनांक 23.07.2015 को हो जाने के उपरान्त उनके जितित विधिक वारिसान श्रीमती संतोषा नगर पुत्री स्व. श्री नन्द राम चौधरी ने उक्त भूखण्ड 21 रावण जी स्कीम शक्ति नगर कोटा क्षेत्रफल 1956 वर्गफुट का हक त्याग पत्र दिनांक 15.10.2025 को अपने भाई श्री धीरेन्द्र चौधरी पुत्र स्व. श्री नन्द राम चौधरी के पक्ष में त्याग दिया है।
आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा में उक्त भूखण्ड के स्वामिन्स नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामिन्स नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा कार्यालय में प्रस्तुत करें। मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।
उपायुक्त नगर निगम, कोटा

OFFICE OF THE GRAM PANCHAYAT GUGOR PANCHAYAT SAMITI CHHABRA, (BARAN)
SR No :-GP/2025-26/918-23
Date: 05/03/2026
Notice Inviting Tender 02/2025-26 (Procurement through SPPP Portal)
Bids are hereby invited for the Procurement of Dust Remover Machine, Plastic Shredder Machine and Plastic Baler Machine etc. (Total Estimated Value-15.82 Lacs) through Sppp Portal. Details of The NIB ZBA2526A0451 and UBN No-ZBR2526GLRC0102 may be seen in the bidding documents at our office or at website of state procurement portal http://sppp.raj.nic.inPortal. And http://eproc.rajasthan.gov.in Last Date & Time for Submission of bid is 16-03-2026 at 6.00 PM
Village Development Officer
Gram Panchayat Gugor

कार्यालय नगर पालिका अन्ना जिला-बारा (राज.)
क्रमांक-न.पा.अ./पू/रि/2026/3078-3081
प्रारूप-10 (प्रियम 6 (7) देखिए)
विनांक :- 6.3.2026
नाम सूचना
श्री रामेश्वर नागर/रामरत्न निवासी शिव कोलेनी अंता जिला बारा (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिभूति अधिकारों के निर्वाचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्
जिले सहित तहसील का नाम ग्राम का नाम खसरा सं. क्षेत्र
जिला-बारा राजस्थान प्रान्त 1058, 1058/1908, 1060 29200
तहसील-अन्ता पटवार हल्का अन्ता तह. अन्ता 1061, 1062 रकबा 2.92 हेक्टर. वर्गफीट
इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान नगर राज्य अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अधिभूति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वीक प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अधिभूति अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप हो तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता को समक्ष समर्पक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त विवरण समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आजको जारी की गयी।
अधिसासी अधिकारी नगर पालिका अन्ना



नागर विमानन मंत्रालय
भारत सरकार

शैक्षणिक केंद्र से वैश्विक प्रवेशद्वार

बेहतर भविष्य की ओर कोटा की उड़ान



श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

के दूरदर्शी नेतृत्व में

नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, कोटा-बूंदी का शिलान्यास

श्री ओम बिरला

माननीय लोकसभा अध्यक्ष

द्वारा

गरिमामयी उपस्थिति

श्री भजन लाल शर्मा

मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्री किंजरापु राममोहन नायडू

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री

श्री मुरलीधर मोहोले

केंद्रीय नागर विमानन एवं सहाकारिता राज्य मंत्री

लाभ

- नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निवेशको आकर्षित करने के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर सृजित करेगा।
- राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र और उद्योगों को प्रोत्साहन, जिससे राजस्थान का पूर्ण विकास होगा।

मुख्य विशेषताएं

- ₹1507 करोड़ की अनुमानित लागत और 20000 वर्गमीटर के बिल्ट-अप क्षेत्र के साथ, कोटा- बूंदी हवाई अड्डा प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा।
- 07 कोड C एयरक्राफ्ट (A321/B737) के प्रचालन में सक्षम एअर से इस क्षेत्र से सीधी संपर्कता।
- सरटेनेबल एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 14 चेक-इन काउंटर, 05 एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली, 02 बैगेज बेल्ट और 03 यात्री बोर्डिंग ब्रिज होंगे, जिससे टर्मिनल में यात्रियों को निर्बाध आवागमन सुलभ होगा

07 मार्च 2026 | 13:45 बजे | कोटा-बूंदी हवाई अड्डा, राजस्थान



डीडी न्यूज़ पर सीधा प्रसारण